खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

संख्या 664/देवभूमि उ0खे0र0/हि0र0/द्रो0पु0/ला0टा0पु0पत्रा0/2023–24 दिनांक 08 जुलाई, 2026

विज्ञप्ति

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार/हिमालय रत्न खेल पुरस्कार/प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार/लाईफ टाईम पुरस्कार–2025 हेतु शासनादेश संख्या–634/VI–3/2022–06 (03)/2008 दिनांक 17 नवम्बर, 2022 में निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से उक्तानुसार प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 24 जुलाई, 2026 नियत की जाती है। जिससे सम्बन्धित दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं लाईफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कार हेतु आवेदन करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश :–

1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निदेशक खेल को समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र पर समबन्धित खेल संघ की संस्तुति करानी अनिवार्य होगी।
2. देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों की विगत 03 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर दिया जायेगा।
3. लाईफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन पर्यन्त अर्जित श्रेष्ठतम 10 प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों की उपलब्धियों की गणना के आधार पर दिया जायेगा।
4. प्रशिक्षक का आशय ऐसे प्रशिक्षकों से है, जो मान्यता प्राप्त खेल संस्थानों से खेल में 01 वर्षीय डिप्लोमाधारी या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सेर्टिफिकेट कोर्स अथवा संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ से प्रशिक्षक के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र धारक हो।
5. प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार हेतु जिन खिलाड़ियों का उल्लेख किया गया हो, उनकी खेल उपलब्धियों से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ से प्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं खिलाड़ी द्वारा न्यूनतम 180 दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने का 10.00 रू0 के स्टाम्प पेपर (नोटरी द्वारा प्रमाणित) में दिया जाना अनिवार्य होगा।
6. पुरस्कार हेतु (1) ओलम्पिक (2) विश्व कप/चैंपियनशिप (3) एशियाई खेल (4) राष्ट्रमण्डल खेल (5) एफ्रो एशियन खेल/एशियन चैंपियनशिप/राष्ट्रमण्डल चैंपियनशिप/एफ्रो एशियन चैंपियनशिप (6) सैफ खेल/चैंपियनशिप (7) राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताऐं ही मान्य होंगी।
7. प्रशिक्षक द्वारा 10.00 रू0 के स्टाम्प पेपर (नोटरी द्वारा प्रमाणित) में निम्न बिन्दुओ का उल्लेख कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (i) आवेदक द्वारा किसी भी प्रतियोगिता/चैंपियनशिप/खेल आयोजनों में मादक पदार्थों का सेवन किये बिना ही प्रतिभाग किया है।
   (ii) वह मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में दोषी नहीं ठहराया गया है।
   (iii) वह यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी आरोप में दोषी नहीं ठहराया गया हो।
   (vi) यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना कालांतर में किसी भी समय असत्य पाई जाती है अथवा उसका कोई भी अंश असत्य सिद्ध होता है तो मेरे विरूद्ध जो भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी। साथ ही पूर्व में विभाग द्वारा किसी भी पुरस्कार स्वरूप दी गई धनराशि वापस करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. प्रशिक्षक को उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न एवं हिमालय रत्न खेल पुरस्कार हेतु आवेदन करने सम्बन्धी दिशा – निर्देश :–

1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निदेशक खेल को समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र पर सम्बन्धित राज्य खेल संघ की संस्तुति करानी अनिवार्य होगी।
2. देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न एवं हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, खिलाडी की विगत 01 वर्ष की (कलैण्डर वर्ष–2025) उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जायेगा।
3. खिलाडी जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु राष्ट्रीय टीम के चयन से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया हो वह खिलाडी ही पुरस्कार हेतु संज्ञान में लिए जायेंगे।
4. खिलाडी द्वारा पुरस्कार हेतु जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया जायेगा, उनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ से प्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. पुरस्कार हेतु (1) ओलम्पिक (2) विश्व कप/चैंपियनशिप (3) एशियाई खेल (4) राष्ट्रमण्डल खेल (5) एफ्रो एशियन खेल/एशियन चैंपियनशिप/राष्ट्रमण्डल चैंपियनशिप/एफ्रो एशियन चैंपियनशिप (6) सैफ खेल/चैंपियनशिप (7) राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताऐं ही मान्य होंगी।
6. खिलाड़ी द्वारा 10.00 रू0 के स्टाम्प पेपर (नोटरी द्वारा प्रमाणित) में निम्न बिन्दुओ का उल्लेख कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   (i) आवेदक द्वारा किसी भी प्रतियोगिता/चैंपियनशिप/खेल आयोजनों में मादक पदार्थों का सेवन किये बिना ही प्रतिभाग किया है।

   (ii) वह मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में दोषी नहीं ठहराया गया है।

   (iii) वह यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी आरोप में दोषी नहीं ठहराया गया हो।

   (vi) यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना कालांतर में किसी भी समय असत्य पाई जाती है अथवा उसका कोई भी अंश असत्य सिद्ध होता है तो मेरे विरूद्ध जो भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी। साथ ही पूर्व में विभाग द्वारा किसी भी पुरस्कार स्वरूप दी गई धनराशि वापस करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. खिलाड़ी को उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

(राजेश ममगाई)
सहायक निदेशक खेल

प्रतिलिपिः–संपादक, दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान/अमर उजाला/दैनिक जागरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि **"उत्तराखण्ड संस्करण"** में न्यूनतम स्थान में डी0ए0वी0पी0 की दरों पर प्रकाशित कराते हुए बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु खेल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक खेल

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार/हिमालय रत्न खेल पुरस्कार/देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य/लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हेतु आवेदन का प्रारूप

1. आवेदित पुरस्कार का नाम–.....

2. आवेदक का नाम .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. जन्मतिथि .....
5. पूर्ण पता .....

.....

स्वयं प्रमाणित फोटो

6. स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या.....
7. मोबाइल नं0 (1)– .....

(2)–.....

8. आधार संख्या.....
9. मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सीनियर अथवा जूनियर वर्ग प्रतियोगिताओं का नाम, जिसमें खिलाड़ी द्वारा पदक अर्जित किया हो अथवा भाग लिया हो, का विवरण–

क्र0सं0	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन तिथि/स्थल	पदक			
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	प्रतिभाग

10. खेल संघ का नाम, जिसके माध्यम से प्रतियोगिताओं में भाग लिया.....
11. संलग्न का विवरण.....

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघ की संस्तुति

1. राज्य क्रीड़ा संघ का नाम–
2. राज्य क्रीड़ा संघ के अध्यक्ष/महासचिव का नाम–
3. पूर्ण पता दूरभाष सहित–

दिनांक
स्थान

संस्तुतिकर्ता के हस्ताक्षर/मोहर